स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद

बिहार सरकार

अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0सं0–2जी / अजाविनि–07 / 2012(खण्ड संचिका)– 294

प्रेषक,

सुरज कुमार चौधरी,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार, बिहार,
बीर चन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक– 28.01.2026

विषयः–वित्तीय वर्ष 2025–26 में बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि) को सहायक अनुदान–गैर वेतन हेतु कुल रू0 50,00,000/– (पचास लाख रूपये) मात्र की निकासी एवं व्यय की स्वीकृति।

आदेशः–स्वीकृत।

2– स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में प्रस्तावित राशि ''मुख्य शीर्ष 2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण– उपमुख्य शीर्ष–01–अनुसूचित जातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मो को सहायता–उप शीर्ष–0001–बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, पटना–मांग सं0–44–विषय शीर्ष– 31-06–सहायक अनुदान–गैर वेतन विपत्र कोड–44– 2225011900001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

उपरोक्त मद में वित्तीय वर्ष 2025–26 के लिए स्थापना एवं अन्य प्रतिबद्ध व्यय मद में उदव्यय एवं बजट प्रावधान है।

क्रमांक	विषय शीर्ष	विवरणी	बजट उपबंध (राशि रू0 में)	स्वीकृत राशि (राशि रू0 में)
1	31–06	सहायक अनुदान–गैर वेतन	रू0 75,35,000/–	रू0 50,00,000/–
		कुल–	रू0 75,35,000/–	रू0 50,00,000/–

3– उक्त राशि के लिए निकासी पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी–सह–अवर सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार, पटना होंगे। वे राशि की निकासी कर बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना के पी0 एल0 खाता सं0–PTSPLA020 में हस्तांतरित करेंगें। प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना द्वारा नियमानुसार राशि का व्यय किया जाएगा।

4– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक–17/4/98 तथा समय--समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

5– प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम लि0 (अजाविनि), पटना इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र 31.03.2026 तक विभाग को उपलब्ध करा देगें। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

6– महालेखाकार, बिहार, पटना को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

7– 18 माह पूर्व निर्गत स्वीकृत्यादेश से संबंधित उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन महालेखाकार, बिहार से करा लिया जायेगा।

8– निगम के कर्मियों के वेतन भुगतान हेतु सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा।

9– राशि की निकासी एवं व्यय समय–समय पर वित्त विभाग द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

10– इस प्रस्ताव पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार से संचिका सं0–2 जी/अजाविनि–07/2012 (खण्डसंचिका) के माध्यम से सहमति प्राप्त है।

11– इस राशि की स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

12– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

28/01/2026

(सुरज कुमार चौधरी)